[2020] 14 एस.सी.आर. 327

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

बनाम

उदयन्त मल्होत्रा

(सिविल अपील संख्या 2981-2982/2020) 18 नवंबर, 2020

[डॉ० धनंजय वाई चंद्रचूड़,

इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी, जे.जे.]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992-धारा-19 आर/डब्ल्यू एसएस.11(1), 11(4) डी, 11 (4ए.), 11 (5) और 11 (बी.) - सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015-रेगन 10-यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी-सीईओ और प्रबंध निदेशक कंपनी ने 24.10.2016 को कंपनी के 51,000 शेयर बेचे थे, जिसमें मूल्य संवेदनशील जानकारी का आंतरिक ज्ञान, अर्थात् दिनाँक-30.09.2016 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम- बाद में, कंपनी के शेयरों में भारी कमी आई-प्रतिवादी के खिलाफ आरोप यह था कि मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में होने के कारण, उसने शेयर बेच दिया था और इस प्रकार, एक उल्लेखनीय लाभ कमाया था या एक उल्लेखनीय नुकसान का सामना किया था- यह मामला 2017 में जाँच का विषय बन गया और प्रतिवादी को बुलाया गया था। दिनाँक-28.11.2019 को पूर्णकालिक सदस्य ने दिनाँक-15.06.2020 को एकपक्षीय आदेश पारित किया, हालांकि, ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह अत्यधिक तात्कालिकता का कोई मामला नहीं पाता है, जो एकपक्षीय अंतरिम आदेश को पारित करने के लिए वारंट करता है। प्रथम दृष्टया मामले पर पहुंचने पर कि प्रतिवादी एक अंदरूनी सूत्र था जैसा कि विनियम, 2015 में सुविधा या या अपूर्णनीय क्षति पर विचार किए बिना परिभाषित किया गया था। तथ्यों पर, ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि चूंकि जाँच 2017 से लंबित थी और दिनाँक 28.11.2019 को जानकारी प्रदान की गई थी, पूर्णकालिक सदस्य द्वारा जारी किए गए प्रकृति के एकपक्षीय अंतरिम आदेश को पारित करने की कोई तात्कालिकता नहीं थी - इस पृष्ठभूमि में, यह था कि ट्रिब्यूनल ने उचित मामलों में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने के लिए कोई आग्रह नहीं था जो पूर्णकालिक सदस्य द्वारा जारी किया गया था-यह इस पृष्ठभूमि में था,

ट्रिब्यूनल में, उपर्युक्त मामलों में एक पूर्व भाग अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सेबी की शक्ति की पुष्टि करते हुए, यह देखा गया कि इसका उपयोग "केवल अत्यधिक जरूरी मामलों में किया जाना चाहिए"- इस प्रकार, मामले के तथ्यों पर ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष के साथ भिन्नता का कोई कारण नहीं है-हालाँकि सेबी की शक्तियों पर ट्रिब्यूनल ने जो व्याख्या की गयी है, वह नहीं होगी

किसी अन्य मामले में एक मिसाल के रूप में उद्धृत किया गया है-तदनुसार, अपील निस्तारित की जाती है।

नॉर्थ एंड फूड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम सिक्योरिटीज और भारतीय विनिमय बोर्ड (अपील संख्या 80/2019 पर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक-12.03.2019 को निर्णय लिया गया)

सन्दर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरण, सिविल अपील संख्या-2981-82/2020

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई के निर्णय और आदेश दिनाँक-27.06.2020 से अपील संख्या-145/2020

तुषार मेहता, एसजी, महफूज ए नाजकी, अविनाश त्रिपाठी (अपीलार्थी के योग्य अधिवक्तागण)

अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सोनल जैन, इशकरण सिंह (प्रतिवादी के योग्य अधिवक्तागण)

न्यायालय द्वारा निम्मलिखित निर्णय दिया गया।

निर्णय

1. इन वैधानिक अपीलों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 19927 की धारा-15 जेड के तहत स्थापित की गई हैं। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों से अपीलें उत्पन्न होती है? 27 जून 2020 और 23 जुलाई 2020 को ट्रिब्यूनल ने धारा 11(1), 11(4) (डी), 11(4 ए) 11 (5) और 11 बी के साथ पठित धारा 19 के तहत सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित 15 जून 2020 के एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। सेबी अधिनियम की धारा 11(5) और 11 बी सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015 के विनियम 10 के साथ पढ़ें।

2. अंतरिम आदेश द्वारा, पूर्णकालिक सदस्य ने 3,83,16,230.73 रुपये की राशि निर्धारित की, जोकि अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी पर डायनेमैटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में प्रतिवादी द्वारा किए गए ट्रेडों के कारण होने वाली अनुमानित हानि से बचने की मांग की गई थी। प्रतिवादी को पूर्णकालिक सदस्य द्वारा एस्क्रो खाते में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था।

3. वर्तमान अपीलों के प्रयोजन के लिए, तथ्य एक संकीर्ण दायरे में हैं। प्रतिवादी "सेबी" का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक है।

? "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम"

3 "ट्रिब्यूनल" भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम उदयन्त मल्होत्रा

प्रश्नगत कंपनी के निदेशक पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 24 अक्टूबर 2016 को कंपनी के 51,000 शेयर बेचे थे, जबकि मूल्य संवेदनशील जानकारी, अर्थात् 30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की आंतरिक जानकारी थी। यह आरोप लगाया गया था कि वित्तीय परिणामों को मंजूरी दे दी गई थी। 11 नवंबर 2016 को निदेशक मंडल की बैठक हुई, जिसके बाद कंपनी के शेयरों की कीमत में भारी कमी आई। प्रतिवादी के खिलाफ आरोप यह था कि मूल्य संवेदनशील जानकारी होने और एक जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते, उसने शेयर बेचे थे और इस प्रकार, एक अनुमानित लाभ कमाया था या एक अनुमानित हानि को टाल दिया था। प्रतिवादी द्वारा की गई बिक्री 2017 में एक जांच का विषय थी। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि जांच टीम ने 28 नवंबर 2019 को प्रतिवादी से जानकारी मांगी थी। पूर्णकालिक सदस्य ने 15 जून 2020 को एक पक्षीय आदेश पारित किया।

4. ट्रिब्यूनल के समक्ष, प्रतिवादी द्वारा यह आग्रह किया गया था कि लगभग तीन साल पहले किए गए व्यापार के संबंध में प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित करने की कोई जल्दी नहीं थी और जमा राशि की आवश्यकता में अपीलकर्ता की एक पक्षीय कार्रवाई थी। महामारी के दौरान मनमाना है। इसका विरोध करते हुए, अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि एकपक्षीय आदेश पारित करने का कारण यह था कि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त अनुमानित लाभ के विचलन की संभावना थी। विवादित आदेश में अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में, ट्रिब्यूनल ने नॉर्थ एंड फूड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अपने पहले के फैसले पर भरोसा जताया। निर्णय के पैराग्राफ 11 में, ट्रिब्यूनल ने इस प्रकार है:

"11. जैसा कि नॉर्थ एंड फूड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा)

एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने की कोई वास्तविक आपातकालिक आवश्यकता नहीं है

विशेष रूप से महामारी अवधि के दौरान आदेश करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेबी के पास एक अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति है और अत्यधिक जरूरी मामलों में सेबी एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल बेहद जरूरी मामलों में ही किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, हमें अत्यधिक तात्कालिकता का कोई मामला नहीं मिला, जिसके कारण प्रतिवादी को केवल प्रथम दृष्टया मामले पर पहुंचने पर एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता पड़ी कि अपीलकर्ता सेबी में परिभाषित एक अंदरूनी सूत्र था (अंदरूनी सूत्र का निषेध) ट्रेडिंग) विनियम, 2015 (संक्षेप में 'पीआईटी विनियम') सुविधा के संतुलन या अपूरणीय क्षति पर विचार किए बिना।"

4. अपील 80 /2019 को दिनाँक- 12 मार्च 2019 को निर्णित किया गया सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2020] 14 एस.सी.आर.

5. हमारे विचार से, अपने सामने आए तथ्यों के आधार पर, ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि चूंकि जांच 2017 से लंबित थी और जानकारी 28 नवंबर 2019 को प्रदान की गई थी, इसलिए एकपक्षीय पारित करने की कोई जल्दी नहीं थी। प्रकृति का अंतरिम आदेश जो पूर्णकालिक सदस्य द्वारा जारी किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, ट्रिब्यूनल ने उचित मामलों में एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने की सेबी की शक्ति की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका प्रयोग "केवल अत्यधिक जरूरी मामलों में" किया जाना चाहिए।

6. तथ्यों पर, जैसा कि वे इस न्यायालय के समक्ष उभरे हैं, हमें मामले के तथ्यों पर ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिलता है। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, हम स्पष्ट करते हैं कि हम उन तथ्यों पर दृष्टिकोण की पुष्टि कर रहे हैं जो ट्रिब्यूनल के समक्ष रिकॉर्ड से सामने आए हैं।

7. हालाँकि, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने तर्क किया कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को अपील दायर करने के लिए बाध्य होने का कारण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की वैधानिक शक्तियों पर कानून के असर के सवाल पर लागू आदेश में निहित कुछ टिप्पणियाँ हैं। विशेष रूप से, न्यायालय का ध्यान निम्नलिखित अनुच्छेद की ओर आकर्षित किया गया:

“9...हमारी राय है कि जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता है और इसकी मात्रा निर्धारित नहीं हो जाती है, तब तक भुगतान के लिए कोई भी राशि अग्रिम रूप से जमा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है, जब तक कि की गई कार्रवाई को दिखाने और उचित ठहराने के लिए कुछ सबूत न हों। समान प्रकृति का एक आदेश हो सकता है कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही पारित किया जाएगा और ऐसे आदेश कार्यवाही शुरू होने के समय पारित नहीं किए जा सकते।"

8. सेबी अधिनियम की धारा 11(4) निम्नलिखित शर्तों में सेबी को शक्ति प्रदान करती है:

"11. बोर्ड के कार्य:

डीआर ओ.आर. आरके

(4)-उपधारा (1), (2) में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1), (2), (2 ए) और (3) और धारा 11 बी, बोर्ड, एक आदेश द्वारा, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हितों में, निम्नलिखित में से कोई भी उपाय कर सकता है, या तो लंबित जांच या जांच या पर ऐसी जांच या जांच को पूरा करना, अर्थात्:- (ए) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम उदयंत मल्होत्रा

(सी) या आरके

(डी) जांच के अधीन किसी भी लेनदेन के संबंध में आय या प्रतिभूतियों को जब्त करना और बनाए रखना;"

9. चूंकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ट्रिब्यूनल ने मामले के तथ्यों के आधार पर पूर्णकालिक सदस्य के एकपक्षीय आदेश को इस आधार पर रद्द करना सही था कि इस तरह के आदेश को बनाए रखने के लिए कोई तात्कालिकता नहीं बनाई गई है, इसलिए यह इस न्यायालय के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ट्रिब्यूनल द्वारा सेबी की शक्तियों पर जो व्याख्या रखी गई है, विशेष रूप से विवादित आदेश के पैराग्राफ 9 में, जो ऊपर निकाला गया है, उसे किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा। सेबी द्वारा पारित आदेश आवश्यक रूप से सेबी अधिनियम की धारा 11(4) के अनुरूप होना चाहिए।

10. उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ, हम सामने आए तथ्यों पर ट्रिब्यूनल के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। तदनुसार अपीलें निस्तारित की जाती है।

अंकित ज्ञान अपीलें निस्तारित।

अनुवादकर्ता

(मो० शफीक)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
बाह्य न्यायालय बांसी, सिद्धार्थनगर
जे०ओ० कोड यू.पी. 6141